तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	हुक्म की तारीख में जारी हुए
06.12.2019	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। इस प्रकरण में दिनांक 29.11. 2019 को उभय पक्ष की बहस समाअत की गई। जिसका निस्तारण इस आदेशिका के तहत किया जाता है। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम तालवा के गत खसरा नम्बर 17 तादादी 18 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 58 तादादी 62 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 69 तादादी 123 बीघा1 बिस्वा कुल 264 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 के पूर्वज की जागीदारी भूमि चली आ रही थी। जागीरे रिज्युम होने पर जागीरदारों से ऑफसन प्राप्त किये गये थे जिसके अनुसार प्रार्थीगण के पूर्वज किशन सिंह वगैरह द्वारा उपरोक्त लिखित वादगत भूमि अपनी आठ यूनिट बताते हुए भूमि अपने हक व हिस्से में रखी गई थी। इस प्रकार यह भूमि पैतृक भूमि रही है। जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का संयुक्त कब्जा काश्त एवं संयुक्त हक व हिस्सा निहित चला आ रहा है। और सभी वारिशान उपरोक्त लिखित भूमि के 1/8 –1/8 हक व हिस्से के कानूनी अधिकारी थे, परन्तु फिर भी पूर्वज किशनसिंह द्वारा बिना किसी अधिकार के संयुक्त खाते की भूमि में से खसरा नम्बर 17 तादादी 78 बीघा 11 बिस्वा भूमि दिनांक 19.1.1973 को गोपालसिंह के पुत्र भंवरसिंह अप्रार्थी सं: 1 के हक में बक्शीसनामा पूरी भूमि का कर दिया जिसको करने का अधिकार पूर्वज किशनसिंह को नहीं था। उक्त बक्शीसनामा में बक्शीस प्राप्त कर्ता के कोई हस्ताक्षर नहीं है। गत खसरा नम्बर 17 के नये नम्बर 29,33,35,97,100, 101,102 कुल तादादी 19. 67 हैक्टेयर कायम किये गये है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है, परन्तु फिर भी अप्रार्थी सं. 1 ने उपरोक्त लिखित भूमि में से खसरा नम्बर 29 तादादी 0.02, खसरा नम्बर 33 तादादी 10.41 हैक्टेयर में से 6.30 हैक्टेयर भूमि दक्षिण हिस्सा की कुल 6.3225 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी सं. 8 को विक्रय कर दी जो कानूनन नहीं की जा सकती थी। इस लिये प्रार्थीगण का प्राईमा फैसाई केश सिद्ध है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा खरीददार को कब्जा करवाने में सफल होते है तो प्रार्थीगण को अपार क्षति पहुंचेगी इस लिये दावे के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। वकील प्रार्थीगण ने अपने बहस के समर्थन में वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस मे बताया कि वादगत भूमि जागीरदारी भूमि नही रही है वादगत भूमि किशनसिंह की खातेदारी भूमि थी जिसमे से किशनसिंह ने पुराना खसरा नम्बर 17 तादादी 78 बीघा 11 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को जरिए गिफ्ट दिनांक 19.01.1973 को प्रदान कर दी थी जिसके बाद से पुराने खसरा नम्बर 17 जिसके नये खसरा नम्बर 29,33,35,97,100, 101,102 कुल तादादी 19. 67 हैक्टेयर बने है की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का बतौर खातेदार कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। किशनसिंह के स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण शेष भूमि खसरा नम्बर 58 व 69 तादादी 185 बीघा 17 बिस्वा मे अप्रार्थी संख्या 1 को	

6/12

खण्ड अधिकारी
...(बीकानेर)

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ह

छोड़कर इंतकाल संख्या 103 मे केवल अपना नाम दर्ज करवा लिया इसके बाद भी प्रार्थीगण ने पुराना खसरा नम्बर 69 मे से 50 बीघा भूमि रामनारायण वल्द गंगाराम व बालीदेवी पत्नी गंगाराम को बैय कर दी जिससे प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे हुई बक्शीश की जानकारी हो गई थी इसके बाद भी प्रार्थीगण ने पुराने खसरा नम्बर 58 व 69 मे शेष बची भुमि का विभाजन करवा लिया जिसका इंतकाल संख्या 130 दर्ज हुआ यानी प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे की गई बक्शीश की जानकारी प्रारंभ से रही है लेकिन अप्रार्थी को तंग परेशान करने की नियत से अपने हिस्से मे आई भूमि को छोड़कर केवल पुराने खसरा नम्बर 17 से बने नये खसरा नम्बर 29 व 33 के बावत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली जबकि अप्रार्थी संख्या 1 खसरा नम्बर 29,33,35,97,100, 101,102 कुल तादादी 19. 67 हैक्टेयर का खातेदार है इसलिए कानुनन खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है इस कारण प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला साबित नही है ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है ना ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति कारित हो रही है। इसलिए प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर. आर.डी. 1974 पृष्ट सं. 446, ए.आई.आर. 1981 पटना पृष्ट सं. 1, ए.आई.आर. 1994 पृष्ट सं. 853, आर.आर.डी. 1992 पृष्ट सं. 532,आर.बी.जे. 1996 पृष्ट सं. 215,आर.बी.जे. 2016 पृष्ट सं. 244, आर.बी.जे. 2017 पृष्ट सं. 312, आर.आर.टी. 2018 पार्ट प्रथम पृष्ट सं. 692, की नजीरात प्रस्तुत की।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन अवलोकन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहूंचते है कि वादगत भूमि ग्राम तालवा के गत खसरा नम्बर 17 तादादी 78 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 58 तादादी 62 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 69 तादादी 123 बीघा1 बिस्वा कुल 264 बीघा 3 बिस्वा मे स्थित थी जिसमे से किशनसिंह ने पुराना खसरा नम्बर 17 तादादी 78 बीघा 11 बिस्वा भूमि अप्रार्थी सं. 1 को बक्शीस की है इसके बाद किशनसिंह के स्वर्गवास होने पर चढे इन्तकाल में पुराना खसरा नम्बर 58 व 69 की भूमि अप्रार्थी सं. 1 को छोडते हुए केवल प्रार्थीगण के नाम दर्ज की गई है जिसके बाद प्रार्थीगण ने उक्त भूमि में से 50 बीघा भूमि बैय कर दी है तथा शेष बची भूमि का प्रार्थीगण ने अपने मध्य विभाजन करवा लीया है। जिससे शाबित होता है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में की गई बक्शीस की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 का अपनी–अपनी भूमि पर कब्जा रहा है। इस कारण प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टिया मामला साबित नहीं होता है ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है तथा अप्रार्थी सं.1 वादगत भूमि का रिकार्डेड खातेदार है इस कारण अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थीगण को नहीं होनी है। इस कारण रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलास सुनाया गया।

6/12/19

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
नोखा

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.01.23 17:36:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: